

हमारे मित्रों के नाम आसलम मित्रों

27/4/17
18/5

मैं धना प्रवारी, पडवा
के प्रतिवेदन से समुचित हूँ कि दोनों पक्षों के बीच जमीन
मकान विवाद को लेकर झगड़ा के
कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शांति भंग होने की
संभावना है।

(547)
16.5.17

अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध दफा 107 द0 प्र0 स0
की प्रक्रिया कायम की जाती है। दोनों पक्षों को आदेश दिया
जाता है कि दिनांक 5.4.17 को मेरे
न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि
क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक
हजार रुपया का बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश दिया
जाय।

Hakam
14/3/17

अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, मेदिनीनगर

5.4.17

जोदिय का तालिका मजदूर
दिनांक 27.4.17 का रजिस्टर

मह050556

27.4.17

जोदिय का तालिका मजदूर
दिनांक 18.5.17 का रजिस्टर

मह050550

18.5.17

~~दोनों पक्षों की शर्तों~~
~~प्राप्त के साथ साथ~~
~~सुकरनाथ का मजदूर~~

दोनों पक्ष 57, 42 अंशित 50 नव
आरोप से इनका डिपें / इनका इलाका

प्राप्त हुआ है वहां मजदूरान रूप है
दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ
अनुमण्डल- डिपें है अतः 57, 42 कार्यवाही
को समाप्त किया गया है